

FORM NO III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाग रामगढ़ जिला - अलवर

क्रिम मुकदमा कुठवां सिंह बनाम शेरी सिंह सं. 2513/14 रान्.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/6/13	<p>वकील वारी 340 डावर सुबेश्वर ही मुक्ति के जेन रेगुलर AD- नलककर. दि 11/7/13 को पेश है</p> <p>उपरोक्त मुकदमे में वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया। नकल दिलाई गई। वास्ते <u>12/11/13</u> पत्रावली दिनांक <u>12/11/13</u> को पेश हो।</p> <p>रीडर</p>	<p>उपरोक्त लाल मीणा उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर) राजग</p>
6/8/14	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कर्ब स्थगित है। पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते <u>25/3/14</u> दिनांक <u>25/3/14</u> को पेश हो।</p>	
29/5/14	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया। नकल दिलाई गई। वास्ते <u>12/6/14</u> पत्रावली दिनांक <u>12/6/14</u> को पेश हो।</p> <p>रीडर</p>	
12/6/14	<p>वकील/वकीलों का कर्ब स्थगित है। पेश करे दि 25/3/14 को पेश है</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज
----------------	-----------------------------------

20/9/23 अग्रगण्य पत्रावली के फाइल प्रशासकी अफिसर
 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अग्रगण्य
 है।
 पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
 17-10-23
 रीडर

17-10-23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अग्रगण्य
 है।
 पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
 30-11-23
 रीडर

30-11-23 वकील वादी अनुपस्थित
 साविक आदेश दिनांक..... 18.2.21.....
 की पालना में पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
 दिनांक..... को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

02.1.24 पत्रावली प्रस्तुत हुई वकील वादी अनुपस्थित।
 वकील व इनके वादी दो धार-वार अज्ञान
 दिखायी गई। साय 5:00 बजे तक इंतजार किया
 तथा पुनः भावजि दिखायी गई। इसके बाद वकील
 व इनके वादीगण अनुपस्थित। अतः
 द्वावा वकील व इनके वादीगण की अदम
 हाजिरी - अदम परकी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली केवल शूअर दोर नम्बर से कम
 है। बाहू टामिल तकमील दाखिल रूफ्टर है।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अलत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

वकील

बनाम

ध परमाता

नं

२/२०३

सन्

२०२१

	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>2021</p> <p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूल वाद पत्र के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जय एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 25.11.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 1754/1411 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर का रहन, बय नही करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथारिथति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 25.11.2021 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 25.11.2021 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</p> <p>दिनांक 25/11/21</p> <p>पत्रावली आज दिनांक 29/11/21 को ब्रासव गौधों के संग अभियान-2021 कैम्प में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र माम पंचायत में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान द्वारा समझौता/समझौता प्रस्तुत नहीं करने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार दिनांक को न्यायालय में पेश किया गया।</p>		

फर्द अहकाम

न्यायालय..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... गोविन्दा (अलवर)
 वीरी..... बनावी..... परमाती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
29.11.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... पत्रावली दिनांक..... 27.12.23	नुमाव को पेश हो। रीडर
27.12.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... पत्रावली दिनांक..... 03.1.24	को पेश हो। रीडर
03.1.24	पत्रावली तस्तुत हुई। वकील राणी अनुपस्थित। वकील व उनके हाथी के व्यापार्य द्वारा बार-बार आवाज दिलायी गई। साय 5:00 बजे तक इंतजार किया तथा पुनः आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व हाथी अनुपस्थित। अतः हाथीना पत्र - 212 RAN वकील व उनके हाथी की अहम हाजिरी - अहम पेशी में धारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तक्रमील मूल पाद के संलग्न हो।	
	उपखण्ड अधिकारी गोविन्दा (अलवर) राज०	